



प्र.क / 17.

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

P.B.R/भगरानी/रतलाम/थृ-२/ २०१७/२०५१

यशवंतसिंह पिता भमुतसिंह कोठारी
आयु ७० वर्ष धंधा खेती
निवासी ग्राम पंचेड तह व जिला
रतलाम म.प्र.

-प्रार्थी/अपीलांट

विरुद्ध

मुकेश पिता मदनसिंह कोठारी
आयु ५० वर्ष धंधा खेती
निवासी ग्राम पंचेड तह व जिला
रतलाम म.प्र.

-प्रतिप्रार्थी/रेस्पान्डेंट

// रिवीजन अन्तर्गत धारा म.प्र.भू.रा.स. //

मान्यवर महोदय,

में प्रार्थी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय
अधिकारी महोदय ग्रामीण जिला रतलाम म.प्र. (श्रीमती नेहा
भारती मेडम) द्वारा प्रकरण क्रमांक 2-अपील/16-17 में पारित
आदेश दिनांक 15.6.17 से असन्तुष्ट होकर अन्य आधारो के
अतिरिक्त निम्न आधारो पर यह रिवीजन प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ
न्यायालय के आपत्तिकर्ता यशवंतसिंह पिता भमुतसिंह कोठारी
निवासी ग्राम पंचेड ने म.प्र.भू.रा.स. 1959 की धारा 32 के
अंतर्गत आपत्ति पेशकर शामलाती कृषिभूमि खाता क्र. 536 सर्व
नं. 6 रकबा 23.640 है. भूमि है जो वास्तविकता में 22.640 है.
भूमि है मृतक मदनसिंह पिता भमुतसिंह, भंवरबाई बेवा
भमुतसिंह के स्थान पर उनके वारिसो को रिकार्ड पर लिये
जाने संबंधी विवाद है अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण क्र.
11-अ-6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 23-9-11 को
अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया। मुकेश के पिता
मदनसिंह कोठारी की मृत्यु दिनांक 13-12-08 को होना
आपत्तिकर्ता ने स्वीकार की है मदनसिंह द्वारा आपसी
राजीनामा दिनांक 24-5-1960 के अनुसार स्व. मदनसिंह के

(3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/2051

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-१२-१८ को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> 	